Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 768 / 10 अधिप्राप्ति / 2018 दिनांक– 18 / 07 / 2018

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, / रा0मा0 / ए0डी0बी0 /
वर्ल्ड बैंक / पी0एम0जी0एस0वाई0,
लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा / हल्द्वानी / पौड़ी / टिहरी / पिथौरागढ़ / देहरादून।

विषयः– **रोड हैड से पैदल दूरी के इंडेक्स में संशोधन के सम्बन्ध में।**

दिनांक–19.06.2018 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में, उत्तराखण्ड के केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स के सम्बन्ध में बैठक आहूत की गई थी । जिसमें उत्तराखण्ड के सम्स्त तकनीकी विभागों के अभियन्ता उपस्थित थे । बैठक में उपस्थित अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि रोड हैड से पैदल दूरी के इंडेक्स के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञाप संख्या–1055 / 10 अधि0प्राप्ति / 2011दिनांक–27.08.2011 एवं पत्र संख्या–48 / 10 अधि0प्राप्ति / 2015 दिनांक–13.01.2015के द्वारा रोड हैड से प्रति किलोमीटर पैदल दूरी हेतु इंडेक्स का प्राविधान नहीं किया गया है । जिसके कारण उन्हें व्यवहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । अतः समस्त उपस्थित अभियन्ताओं से विचार विमर्श के उपरान्त रोड हैड से 30 मीटर से अधिक प्रति कि0मी0 की पैदल दूरी हेतु प्राविधान करते हुये (इंडेक्स निर्धारित किये जाते है)

कम0 सं0	प्रत्येक विकास खण्ड में मोटर रोड हेड से दूरी	देय वृद्धि दर/ इंडेक्स	
		स्टोन मेसनरी इन सीमेन्ट सैन्ड मोर्टार हेतु	अन्य मदों हेतु
1	2	3	4
(i)	**Above 30m upto 1km or part there of .**	**1%**	**5%**
(ii)	**2^{nd} km to 20^{th} km or part there of .**	**0.1% Per Km**	**0.5% Per Km**
(iii)	**Above 20^{th} K.m. onward or part there of.**	**0.2% Per Km**	**1.0% Per Km**

कमशः पेज :2: पर

भविष्य में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुये आगणन गठित किये जाये।:-

1. किसी भी विकासखण्ड में मोटर रोड़ हैड से 30 मीटर तक की सीमा तक वर्तमान केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स की दरें लागू होगी ।
2. जिन मदों में सामग्री (Material resources) का कोई अंश नहीं है, उनमें Zone Wise Index देय नही होगा तथा वर्तमान में केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स की दरें लागू रहेगी । यथा मिट्टी का कार्य, पहाड़ कटान स्लिप सफाई इत्यादि ।
3. Dry Stone Masonry / Dry Stone खडण्जा / Hand Packed Stone filling इत्यादि मदों में भी कोई इंडेक्स देय नहीं होगा तथा वर्तमान केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स की दरें ही लागू होंगी ।
4. अतिरिक्त पैदल दूरी के लिए अधिशासी अभियन्ता, का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, किन्तु 20 किमी0 से अधिक दूरी हेतु अधीक्षण अभियन्ता, का प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा ।
5. इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञाप संख्या-1055 / 10 अधि0प्राप्ति / 2011दिनांक-27.08.2011एवं पत्र संख्या-48 / 10 अधि0प्राप्ति / 2015 दिनांक-13.01.2015 के द्वारा जारी आदेश स्वतः ही समाप्त समझे जाये ।

(आर0सी0पुरोहित)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन / सचिव नियोजन उत्तराखण्ड शासन
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
4. प्रमुख अभियनता / विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
9. प्रबन्धक निदेशक, ब्रिडकुल, देहरादून।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0 / यां0, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर-प्रथम / द्वितीय एवं समस्त अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
12. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून ।
14. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

11/7/18

I.T
S.O.R साइट पर
upload करें।
18/7/18

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता